पत्रांक–04 / शहरी जलापूर्ति–06–01 / 2026 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट / निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष, 2025–26 में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–05 में जलापूर्ति योजनाओं हेतु कुल राशि ₹136.46800 (एक करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रू०) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹46.46800 लाख (छियालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना के पत्रांक–1377 दिनांक–20.01.2026 द्वारा नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वार्ड में कुल 01 जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0–05 मे कुल 01 जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि **₹136.46800 (एक करोड़ छत्तीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रू०) मात्र** के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–5 अंकित राशि **₹46.46800 लाख (छियालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रु०) मात्र** वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख रू० में)

क्र0 स0	वार्ड सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
01	05	Construction of High Yield Tube Well at Old Samudaik Bhawan, Samanpura in Ward No.-05	₹136.46800	₹46.46800	₹90.00
Total			**₹136.46800**	**₹46.46800**	**₹90.00**

3. उक्त स्वीकृत **₹46.46800 लाख (छियालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रु०) मात्र** के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 227, दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, पटना के PL खाता सं०–PTCPLA021 तथा HOA- 00-8448-00-102-0001-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।***

4. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से ***नगर निगम, पटना*** द्वारा कराया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत कुल **₹46.46800 लाख (छियालीस लाख छियालीस हजार आठ सौ रु०) मात्र** की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघुशीर्ष–191– नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान–सहायक अनुदान विपत्र कोड–48-2215011910101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण की जायेगी।

7. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र **BTC- 42A**फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–04/शहरी जलापूर्ति–06–01/2026 के पृष्ठ सं०–12/टि० पर दिनांक–28.02.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–13/टि० पर दिनांक–05.03.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/शहरी जलापूर्ति–06–01/2026 515 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06/03/26

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02, 06 एवं 04, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।